(11)

उत्तराखण्ड शासन

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 715/XVII–3/2008–09(71)/2002–शासन की अधिसूचना संख्या 246 सै0क0–02–71(सै0क0)/2002, दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को अधिक्रमित करते हुए 'उत्तराखण्ड राज्य सैनिक कल्याण परिषद्' को निम्नवत् गठित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. (1) अध्यक्ष – मुख्यमंत्री।

(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष – विभागीय मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड।

(3) उपाध्यक्ष – (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ख) जी0ओ0सी0 इन सी0 सेन्टर कमाण्ड, लखनऊ।

2. सदस्य (पदेन) :

(क) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(ख) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(ग) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(घ) सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(ङ) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(च) सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3. सर्विस हेडक्वार्टर्स :

(क) जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग, उत्तर भारत एरिया, बरेली।

(ख) कमाण्डर, उत्तराखण्ड सब एरिया कमाण्ड, देहरादून।

(ग) निदेशक, पुनर्वास जोन, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।

(घ) प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली।

4. विशेष आमंत्रित सदस्य :

(क) महानिदेशक, पुनर्वास, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ख) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ग) किसी भी ऐसे विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे संबंधित कोई प्रकरण परिषद् की बैठक में विचार हेतु प्रस्तावित हो।

5. भूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि :

(क) लें0 जन0 (अ0प्रा0) एम0एस0 गुँसाई, पी0वी0एस0एम0, ए0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0 – देहरादून।

(ख) मेजर जनरल (अ0प्र0) आर0एस0 तड़ागी – चम्पावत।

(ग) ब्रिगे0 (अ0प्रा0) एच0एम0 मन्त, वी0एस0एम0* – नैनीताल।

(घ) ऑनरेरी कैप्टेन (अ0प्रा0) आदित्य राम, सेना मेडल – पौड़ी।

6. प्रमुख नागरिक (मा0 सदस्य विधान सभा) :

(क) श्री जोगा राम टम्टा — गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)।

(ख) श्री गणेश जोशी — राजपुर, देहरादून।

7. सचिव :

निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड। —

8. कार्यकलाप :

(क) परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के गठन की तिथि से दो वर्ष का होगा।

(ख) निदेशालय, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड में 'राज्य सैनिक परिषद्' का कार्यालय एवं मुख्यालय देहरादून में होगा। निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड परिषद् के पदेन सचिव होंगे, जो इसकी बैठकों के संयोजक होंगे।

(ग) परिषद् के अन्य पदेन सदस्यों में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।

(घ) समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु गठित कमेटी, उप समिति एवं उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से लागू कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ङ) पूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा अन्य कल्याण संबंधी समस्याओं पर विचार करना तथा राज्य सरकार को उनके निराकरण के संबंध में संस्तुति देना।

(च) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के लिये आरम्भ की गयी विभिन्न कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का विस्तार कराना एवं उनके वास्तविक कार्यान्वयन पर निगाह रखना।

(छ) पूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न विद्यमान अथवा बनाई जाने वाले औद्योगिक और भूमि सहकारी समितियों के विषय में आवश्यक सलाह और सहायता देना।

(ज) राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्पर्क रखना कि पूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्राधिकारियों से शीघ्रता से आवश्यक सहायता मिल सके और वे अपनी शिकायतों को दूर करा सकें।

(झ) उपर्युक्त दायित्वों को राज्य सरकार के समक्ष निरन्तर रखना जिससे कार्यकारी और वित्तीय उत्तरदायित्व के विषय में आदेश पारित हो सकें।

(ण) यह सुनिश्चित करना कि निम्नलिखित के कल्याण व प्रभावशाली पुनर्वास और असैनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित बातों की जानकारी पुनर्वास महानिदेशालय को मिलती रहे :–

(एक) सेवारत सैनिकों के परिवार/आश्रित।

(दो) सेवाकाल में मृत अथवा घायल होने वालों के परिवार और उनके आश्रित।

(तीन) पूर्व सैनिक और उनके परिवार।

संबंधित विभागों द्वारा कमियां दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही, विचाराधीन प्रस्ताव और जारी किये गये आदेशों की जानकारी भी शामिल होगी।

(त) पूर्व सैनिकों के परिवारों तथा सेवारत कार्मिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन हेतु शासन को प्रस्तुत करना।

(थ) पूर्व सैनिकों और सेना के वर्तमान सैनिकों के कुटुम्ब के कल्याण के लिये साधनों को बढ़ावा तथा पूर्व सैनिकों को पुनर्वासित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(द) देश में सशस्त्र सेनाओं के संबंध में साधारण जनता में सूचना का प्रसार करना तथा सामान्य जनता में सेनाओं के प्रति बुद्धियुक्त अभिरुचि जागृत करने की प्रभावी योजनाओं की संस्तुति देना।

(ध) सिविल प्राधिकारियों से ऐसे भी विषयों के बारे में निवेदन करना और समझना जो सैनिक वर्गों के लिए महत्व के अथवा हितकर हों और जिनके संबंध में राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

(न) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त प्राधिकारियों के समक्ष सैनिक सेवा के सभी वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और कठिनाईयों को प्रस्तुत करके उनकी सहायता करना।

(प) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड तथा उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था के न्यासियों/ट्रस्टियों के निकट सम्पर्क में ऐसी योजनाओं को चलाने के लिये कार्य करना जो पूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी दिलाने में सहायक हों और उद्योग धन्धों की लगाने के निमित्त ऐसी सरकारी समितियों की स्थापना तथा अन्य योजनाओं/स्कीमों के लिए हो जिनका प्रारम्भ पूर्व सैनिकों के लाभार्थ किया गया है।

(फ) सैनिक प्राधिकारियों के साथ-साथ सम्पर्क स्थापित करना और ऐसे विषयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना जो पूर्व सैनिकों के संबंध में हों और जिन पर उनका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

9-वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 3 के नियम 2(बी) के अंतर्गत परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिये की गयी यात्रा के लिये नियमानुसार अनुमन्य श्रेणी का यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा। यह भत्ता सामान्य निवास स्थान से बैठक के स्थान तथा सामान्य निवास स्थान की वापसी की यात्रा के लिये अनुमन्य होगा। यदि यात्रा भत्ता रेल टिकट रियायती दर पर उपलब्ध होंगे तो यात्रा भत्ता रेल के वास्तविक किराये व देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। सदस्य विधानसभा/संसद सदस्यों को रेल किराया देय नहीं होगा, वरन् प्रासंगिक व्यय देय होगा। यात्रा तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अंतर्गत होंगे। सरकारी सदस्यों को अपने विभागीय आय-व्ययक से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता देने के लिये निदेशक, सैनिक कल्याण नियंत्रक अधिकारी होंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 03-1-2009, भाग-1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित----]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 समाज कल्याण/22-9-1-2009-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)